भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1978
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिला शक्ति केंद्र योजना

1978. **श्री बैजयंत पांडाः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला शक्ति केन्द्र योजना (एमएसके) के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितने कार्यात्मक केन्द्र स्थापित किए गए हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य स्तर पर एमएसके के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों की महिला लाभार्थियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एमएसके के माध्यम से कितनी महिला लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई है;
(घ) क्या एमएसके केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनके लिए कोई प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में विशेषकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और
(च) यदि हां, तो इन चुनौतियों का सामना करने और इनकी व्यापकता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नवंबर, 2017 में मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों के परामर्श से दिनांक 01.04.2022 से इस योजना को बंद कर दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.04.2022 एक व्यापक मिशन ''मिशन शक्ति'' को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पहलों को मजबूत करना है। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं '**संबल**' और 'सामर्थ्य' **हैं**।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत के घटक शामिल हैं।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू) के घटक शामिल हैं।

*****